मिसल मुकदमा .... नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/7/24	वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार, नीमकाथाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वकील प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव की नकल लेने का निवेदन किया नकल दिलायी जावें। पत्रावली दिनांक 29/7/24 को पेश हो।	
	29/7/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08/8/24 को पेश हो।	
08/8/24	राजेश बनाम मुरली वगै0 वाद संख्या 200/2023 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील प्रतिवादी विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नही करना चाहते है। वकील वादी का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.06.2024 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से वकील उभय पक्ष सहमत है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ0डी0 किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया है वह राजस्थान भू-राजस्व (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम ... के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिसे उभय पक्ष	उभयपक्ष का FD के लिए सहमत हूँ। D/y Adv 8.8.24 Adv 08/08/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.04.22 18:54:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज

भी सहमत है अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ. /2024/4364 दिनांक 09.07.2024 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.04.22 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner